हिन्दुस्तान की पृष्ठभूमि में इन्श्योरेन्स (बीमा) का आदेश

पाँचवा फ़िक्ही सेमिनार (आज़म गढ) दिनांक 3-6 जमादिल उला 1410 हिजरी 30 अक्टूबर - 2 नवम्बर 1992 ई0

हिन्दुस्तान के वर्तमान हालात और मुसलमानों को पेश आने वाले हर क्षण जान व माल के खतरे को सामने रखते हुए जान व माल की सुरक्षा और शान्ति स्थापित होने के संबंध में सरकार की जिम्मेदारियों और कभी कभार न केवल उदासीनता बल्कि सरकारी स्टाफ की ओर से दंगों को भड़काने व फैलाने और कभी कभी उनमें भाग लेने और फिर मुसलमानों की जान व माल को पहुंचने वाली हानि की क्षतिपूर्ति में सरकार की ओर से कोताही और इस कारण से कि वे हिन्दुस्तान की इन्श्योरेन्स कम्पनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सरकार से ही संबंधित है, इन्हीं हालात की रोशनी में ''इसलामी फ़िक्ह अकेडमी'' के चौथे सेमिनार आयोजित दिनांक 27-30 मुहर्रम 1412 हिजरी, 9-12 अगस्त 1991 ई॰ दारूल उलूम सबीलुस्सलाम हैदराबद में सोच विचार किया गया था।

सेमिनार में भाग लेने वालों का आम मत यह था कि इन हालात में मुसलमानों के लिए जान व माल का बीमा कराना वैध (जाइज़) ठहरा देना चाहिए लेकिन बहस के दौरान यह बिंदू उठाया गया कि सामप्रदायिक दंगों की सूरत में पहुंचने वाली जान व माल की क्षति को बीमा द्वारा प्रचलित इन्श्योरेन्स कानून के अर्न्तगत सुरक्षा हासिल है या नही? और निम्न प्रस्ताव पास किए गए ----

कमेटी ने मसला के सारे पहलुओं पर सोच विचार किया और यह प्रतीत किया कि इन्श्योरेन्स कम्पनियों की पॉलीसी इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि सामप्रदायिक दंगों में होने वाली जान व माल की हानि को वर्तमान इन्श्योरेन्स कानून की रूप से सुरक्षा शप्त होती है, और इसकी आवश्यकता महसूस की गयी कि इस मसला पर विस्तारपूर्वक सोच विचार किया जाए और इन्श्योरेन्स के महारथियों से विभिन्न स्कीमों के बारे मे पूरी जानकारी प्राप्त की जाएं। सेमीनार के आम अधिवेशन में कमेटी के इस प्रस्ताव से सहमति प्रकट की गयी और निम्न लोगों पर आधारित एक कमेटी का गठन किया गया जो मसला के समस्त पहलुओं पर माहिरों से पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद कोई अन्तिम निर्णय ले सके।

1. मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी जामिअतुर्रशाद, आजमगढ
2. मौलाना बुरहानुद्दीन संभली, नदवतुल उलमा, लखनऊ
3. मौलाना उबैदुल्लाह असअदी, जामिया अरबिया, बांदा
4. मौलाना अतीक अहमद बस्तवी, नदवतुल उलमा, लखनऊ
5. मौलाना मुफ्ती हबीबुर्रहमान ख़ैराबादी, देवबन्द
6. मौलाना मुफ्ती अहमद खानपुरी, जामिया तालीमुद्दीन, डाभेल
7. मौलाना अब्दुल अहद अज़हरी, माअहदमिल्लत, मालेगांव

8 मौलाना मुफ्ती मंज़ूर अहमद कानपुरी, जामेउल उलूम, कानपुर

9 मौलाना निज़ामुद्दीन अशरफी, दारूल उलूम अशरफियां मुबारकपुर

10 मौलाना मुफ्ती ज़फीरुद्दीन मिफताही, देवबन्द

11 मुफ्ती अब्दुल क़ुद्दूस रुमी, आगरा

12 मौलाना ज़ुबैर अहमद कासमी, दारूल उलूम सबीलुस्सलाम, हैदराबाद

13 मुफ्ती जुनैद आलम कासमी, इमारते शरइया, फुलवारी शरीफ, पटना

14 मौलाना .खलीलुर्रहमान आज़मी, जामिया दारूस्सलाम, उमर आबाद

15 मौलाना .खलीलुर्रहमान नदवी, लखनऊ

16 जनाब अब्दुस्सत्तार सूसुफ़ शैख, मुम्बई

17 मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी, इमारते शरइया, पटना

इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी के सेमिनार आयोजित दिनांक 3-6 जमादिल ऊला 1413 हिजरी, 30-31 अक्टूबर और 1-2 नवम्बर 1992 ई॰ स्थान जामेंअतुर्रशाद आज़म गढ के अवसर पर इस सिलसिले में आवश्यक जानकारी और उन पर सोच विचार करके कोई अंतिम निर्णय लेने के संबंध में उल्लिखित कमेटी के वर्तमान सदस्य और दूसरे उलमा पर आधरित एक कमेटी ने पूरी स्थिति पर विचार किया, और मुख्य रूप से इन्श्योरेन्स के कानून की इस धारा पर सोच विचार किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि दंगों की सूरत में जान व माल को पहुंचने वाली हानियों को सुरक्षा नहीं मिल सकती, लेकिन इस सिलसिले में ''लाइफ कारपोरेशन ऑफ़ इन्डिया ''की पारित की गयी विस्तृत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह मालूम हुआ कि इस घोषणा पत्र की धारा (10) बिंदू ;ण्ण् ।ण्ठण्द्ध में सामप्रदायिक दंगों से पहुंचने वाली हानियों का अपवाद असल में धारा 10 से प्राप्त होने वाली उन सुविधाओं से अपवाद है जिनके अर्न्तगत दुर्घटनाग्रस्त मौत की सूरत में असल इन्श्योरेन्स पॉलीसी से अधिक रकम दिए जाने का प्रोवीज़न सामप्रदायिक दंगों की सूरत में पहुंचने वाली जान व माल की हानि को सम्मिलित नहीं होगा अर्थात इस अवस्था में इन्श्योरेन्स पॉलीसी पर बढी हुई रकम नहीं मिलेगी लेकिन जितनी भर इन्श्योरेन्स पॉलीसी है जैसे अन्य आम जानी व माली हानियों मे मिलती है उसी प्रकार इसमें भी मिलेगी, इस दृष्टिकोण के स्पष्ट हो जाने के बाद इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी की यह कमेटी (मज्लिसे तहक़ीक़ात शरइया लखनऊ ने 1960 ई0 में इन्श्योरेन्स के बारे में जो निर्णय लिया था, और देश की प्रभावशाली दर्सगाह ''दारूल उलूम देवबन्द'' से इस बारे में जो फ़तवा दिया जा चुका है) मज्लिस के फ़ैसले और दारूल उलूम के फ़तवा को समक्ष रखते हुए निम्न अन्तिम निर्णय लेती है -

''प्रचलित इन्श्योरेन्स यद्यपि शरीअत मे अवैध है क्योंकि वह रिबा, जुवा, सूद, जैसे शरई रूप से वर्जित मामलों पर आधारित है, लेकिन हिन्दुस्तान के वर्तमान हालात में जबकि मुसलमानों की जान व माल, उद्योग व व्यापार आदि को दंगों के कारण हर क्षण सख्त खतरा लगा रहता है इसे देखते हुए शरीअत के सिद्धान्त ''अज़्ज़रूरात तबीहुल महज़ूरात'' के अर्न्तगत जान व माल की सुरक्षा व इन खतरों को दूर करने के लिए

हिन्दुस्तान के वर्तमान हालात में जान व माल का बीमा कराने की शरई रूप से अनुमति है। (1)

इस फैसले पर हस्ताक्षर करने वाले महत्वपूर्ण उलमा के नाम ये हैं:

1 हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब दारूल उलूम, देवबन्द

2 हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान साहब दारूल उलूम, देवबन्द

3 हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन साहब संभली नदवतुल उलमा, लखनऊ

4 हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह साहब क़ासमी मुफ्ती रियाजुल उलूम गोरेनी

5 हज़रत मौलाना मुहम्मद सनाउल हुदा क़ासमी मदरसा अहमदिया अबाबक्रपुर वैशाली

6 हज़रत मौलाना.जुबैर अहमद साहब क़ासमी अशरफ़ल उलूम कनहवां सीतामढी

7 हज़रत मौलाना मुहम्मद जफ़ीरूद्दीन साहब मिफ़ताही दारूल उलूम देवबन्द

8 हज़रत मौलाना अनीसुर्रहमान साहब क़ासमी इमारते शरइया, पटना

9 हज़रत मौलाना अतीक अहमद साहब क़ासमी दारूल उलूम नदवतुल उलमा

10 हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर्रहमान साहब फ़तेहपुरी मुम्बई

11 हज़रत मौलाना रफीकुल मन्नान साहब क़ासमी अहयाउल उलूम मुबारकपुर

12 हज़रत मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई नदवी साहब सदरूल इस्लाह, बैंगलोर

13 हज़रत मौलाना मआज़ुल इस्लाम साहब , मुरादाबाद

14 हज़रत मौलाना अशफाक अहमद साहब जामिया शरइया, सराएमीर

पीडित व्यक्ति के अपने विवेक पर अमल करने की अनुमति की गुंजाइश देने वालो के नामः

15 हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह मुगीसी साहब अजराडा, मेरठ

16 हज़रत मौलाना मुहम्मद अरशद क़ासमी साहब अजराडा

17 हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैदराबाद

18 हज़रत मौलाना अब्दुल जलील क़ासमी साहब, जामिया इस्लामिया, चम्पारन

19 हज़रत मौलाना सुलतान अहमद इस्लाही साहब इदारा तहकीक व तसनीफ इस्लामी, अलीगढ

20 हज़रत मौलाना मुहम्मद जुनैद आलम नदवी कासमी साहब दारूल इफ्ता इमारते शरइया, पटना

21 हज़रत मौलाना मुफ्ती नसीम अहमद रफीक़ क़ासमी साहब इस्लामी फिकह अकेडमी

1- स्पष्ट रहे कि फ़िक़ह अकेडमी की ओर से यह प्रस्ताव और सेमीनार में भाग लेने वाले विद्वानों की ओर से इसकी पुष्टि का यह अर्थ नहीं है कि इन्श्योरेन्स मुसलमानों की रक्षा की ज़मानत है, इसका यह अर्थ भी नहीं कि इस इन्श्योरेन्स के बाद जो भी सूरत सामने आए उसमे मिलने वाली सारी रक़म इन्श्योरेन्स कराने वालों के लिए जाइज़ व सही होगी, बल्कि इसमें विस्तृत जानकारी की ज़रूरत है और वह यह है कि केवल दंगों की सूरत में जान व माल की हानि के बाद जो कुछ रकम मिले और जो हक़ क़ानून व नियम में बताया जाए उसके अनुसार मिलने वाला माल तो इन्श्योरन्स करानेवालों के लिए वैद्य व सही होगा और शेष सूरतों में केवल अपनी जमा की हुई रक़म के जितना लेना और इस्तेमाल करना वैद्य होगी, अधिक का नहीं और इन्श्योरेन्स की सूरत में अधिक के औचित्य की बात सरकार की अयोग्यता और गैर जिम्मेदारी के कारण उसकी ओर से और उसपर दायित्य की है।

22 हज़रत मौलाना बदर अहमद मुजीबी नदवी साहब खानकाह मुजीबिया, फुलवारी शरीफ, पटना

23 हज़रत मौलाना नजीब अहमद क़ासमी साहब जामिया अरबिया हथोरा बान्दा

24 हज़रत मौलाना मुहम्मद सदरुल हसन नदवी साहब औरंगाबाद

25 हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब मदरसा शाही, मुरादाबाद

(यह नाचीज़ सम्पत्ति के बीमा से सहमत है जीवन औचित्य से सहमत नहीं है।)

26 हज़रत मौलाना मुहम्मद अब्दुर्रहीम क़ासमी साहब जामिया हुसैनिया खैरूल उलूम, भोपाल

27 हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन नदवी कासमी साहब नेपाल

28 हज़रत मौलाना मुहम्मद अफजालुल हक़ जौहर कासमी साहब दारूल उलूम, गोरखपुर

29 हज़रत मौलाना शमीम अहमद साहब जामिया मिफ्ताहुल उलूम, मऊ

30 हज़रत मौलाना सईदुल हक़ क़ासमी साहब दारूल कुरआन, मऊ

31 हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ क़ासमी साहब जामिया इमदादुल उलूम जैदपुर, बाराबंकी

32 हज़रत मौलाना सरफराज अहमद साहब जामिया अरबिया अहयाउल उलम, मुबारकपुर

33 हज़रत मौलाना अफजाल अहमद कासमी साहब खतीब मस्जिद नव पाटली पुत्र कालोनी, पटना

34 हज़रत डा॰ सैयद क़ुदरतुल्लाह बाक़वी साहब दारे कुदरत, मैसूर कर्नाटक

35 हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब पालनपुरी मदरसा जामिया नजीरिया, काकोसी, गुजरात

36 हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह क़ासमी साहब उस्ताद जामिया इस्लामिया बनारस

37 हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान कासमी साहब दारूल उलूम छापी, गुजरात

38 हज़रत मौलाना मुहम्मद इमरान मुजाहिरी साहब दारूल उलूम छापी, गुजरात

39 हज़रत मौलाना मुहम्मद क़मरुज़्ज़मा साहब मदरसा बैतुलमआरिफ इलाहाबाद

40 हज़रत मौलाना तन्वीर आलम क़ासमी साहब मदरसा अशरफुल उलूम, कन्हवां, सीता मढी

41 हज़रत मौलाना मुफ्ती अनवर अली आज़मी साहब दारूल उलूम, मऊ

42 हज़रत मुफ्ती इकबाल अहमद साहब दारूल उलूम, देवबन्द

43 हज़रत मौलाना शुएब इस्लाही साहब मदर्सतुल इस्लाह, सराय मीर, आज़म गढ

44 हज़रत मौलाना काज़ी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी साहब क़ाज़ी शरीअत बिहार व उडीसा, पटना

45 हज़रत मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी साहब जामिअतुर्रशाद, आज़म गढ

46 हज़रत मौलाना बदरुल हसन कासमी साहब कुवैत

47 हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह असअदी साहब उस्ताद जामिया अरबिया हथोरा, बांदा

48 हज़रत मौलाना मुहम्मद राशिद साहब दारूल उलूम, देवबन्द

49 हज़रत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद नजीरी साहब अहयाउल उलूम, मुबारकपुर

50 हज़रत मौलाना डा॰ अब्दुल अज़ीम इस्लाही साहब मुस्लिम सूनिवार्सिटी अनीगढ

5.1 हज़रत मौलाना शम्स पीर ज़ादा साहब मुम्बई

(इन के निकट इजतरारी हालत ही में अनुमती दी जा सकती है।)

5.2 हज़रत मौलाना नज़ीर अहदम क़ासमी साहब बाराबंकी

(इन के निकट बड़ी सख्त आवश्यकता का ध्यान रखना अत्यन्त ज़रूरी है।)

5.3 हज़रत मौलाना खुबैर अहमद क़ासमी साहब इस्लामी फ़िक्ह अकेडमी फुलवारी, शरीफ, पटना

☆☆☆